CNR No.-UPFR010025872026

न्यायालय सेशन न्यायाधीश, फर्रुखाबाद।
उपस्थितः नीरज कुमार, एच०जे०एस० आई०डी०नं०यू०पी० 1907
जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–725/2026

रामनिवास पुत्र स्व०दुलारे उम्र लगभग 60 वर्ष निवासी मोहल्ला प्रेम नगर चिलौली थाना कायमगंज, जिला फर्रुखाबाद। .....आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उ०प्र०राज्य .....विपक्षी

मुकदमा अपराध संख्या–62/2026
धारा–85,80(2) बी०एन०एस० व 3/4 डी०पी०एक्ट
थाना–कायमगंज।
जनपद–फर्रुखाबाद।

दिनांकः 02.07.2026

1. यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र आवेदक/अभियुक्त रामनिवास की ओर से उपरोक्त मामले में जमानत के लिए प्रस्तुत किया गया है।

2. जमानत प्रार्थनापत्र के साथ पैरोकार पंकज पुत्र श्रीपाल का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसके अनुसार उक्त प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रा०पत्र है, अन्य कोई जमानत प्रा०पत्र पूर्व में न तो प्रस्तुत किया गया है और न ही निरस्त हुआ है। विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता दाण्डिक द्वारा इस तथ्य का विरोध नहीं किया गया।

3. अभियोजन का केस है कि वादी मुकदमा चन्द्र किशोर कोरी पुत्र स्व०सीताराम कोरी द्वारा थाना कायमगंज में दिनांक 08.03.2026 को लिखित सूचना दी गयी कि वादी की पुत्री शिवानी पत्नी विजय पुत्र रामनिवास मो० प्रेमनगर कायमगंज की हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार विधिवत तरीके से शादी सम्पन्न हुयी थी। जब से वादी की पुत्री की शादी हुई तब से आज तक ससुरालीजन आये दिन मारने की धमकी देते थे तथा शिवानी के ससुरालीजन शुरु से लेकर दिनाँक 05.03.2026 तक दबाव बनाते चले आ रहे थे कि मायके से 1.5 लाख रुपये लेकर आओ और रहने के लिये अपना मकान बनवाये व मोटर साईकिल की मांग कर रहे थे। वादी की पुत्री शिवानी की शादी सम्मेलन में हुई थी, दो लाख रुपये वादी मुकदमा ने शादी में नगद दिया था। शादी को 4 वर्ष 1 माह हुआ। दोनों के संसर्ग से एक पुत्री है, जिसका नाम काव्या उम्र 1 वर्ष 2 माह है। ससुरालीजन वादी की पुत्री शिवानी पर शारीरिक मानसिक शोषण उत्पन्न करते थे। रामनिवास(ससुर), पुष्पा (सास), विजय (पति) व राघव (देवर) द्वारा दिनाँक 07.03.2026 दिन शनिवार को लगभग सुबह 10 बजे एक राय होकर वादी की पुत्री शिवानी को मारा पीटा गया व दामाद द्वारा टकोरा मारकर लहु–लुहान कर दिया गया, जिसकी सूचना वादी को पडोसी द्वारा मिली। सम्बन्धित क्षेत्रीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कायमगंज पर लोगों के द्वारा भर्ती कराया गया, वहां से शिवानी को डा०

Digitally signed by NEERAJ KUMAR
Date: 2026.07.02 16:12:43 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

राममनोहर लोहिया रिफर कर दिया गया जहां डाक्टरों द्वारा शिवानी को मृत घोषित कर दिया गया। शिवानी का पोस्टमार्टम दिनांक 08.03.2026 दिन रविवार समय लगभग सुबह 11:00 बजे किया गया। पोस्टमार्टम के समय थाना कोतवाली कायमगंज पुलिस द्वारा पंचायतनामा की कार्यवाही के बाद दिनाँक 08.03.2026 को पोस्टमार्टम कराया गया तथा मृतक शिवानी के शव का अन्तिम संस्कार कर वादी थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराने गया। वादी मुकदमा की तहरीर के आधार पर थाना कायमगंज पर दिनांक 08.03.2026 को समय 20.00 बजे मुकदमा अपराध संख्या 62/2026, अंतर्गत धारा 85, 80(2) बी०एन०एस०, 3/4 द०प्र०अधि०में आवेदक/अभियुक्त व अन्य के विरुद्ध पंजीकृत हुआ। बाद विवेचना आवेदक/अभियुक्त के विरुद्ध उपरांकित धाराओं के अधीन ही आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है।

4. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों को सुना गया तथा केस डायरी/पत्रावली का अवलोकन किया गया।

5. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्यतः यह तर्क दिया गया कि आवेदक/ अभियुक्त को झूठा फंसाया गया है तथा दिनांक 18.05.2026 से आत्मसमर्पण कर न्यायिक हिरासत में है। आवेदक का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है। मृतका की शादी सामूहिक विवाह सम्मेलन में हुई थी जिसमें दो लाख रुपये दहेज में दिये जाने का, वादी का कथन बिल्कुल असत्य है। घटना का कोई चक्षुदर्शी नहीं है। शादी के चार साल बाद दहेज मांगने का आरोप लगाना अपने आप में संदेहास्पद है। मृतका अपने पीछे एक अल्प आयु बच्ची छोड़ गई है। आवेदक/अभियुक्त विचारण में सहयोग करता रहेगा, अनुरोध किया कि जमानत पर रिहा किया जाए।

6. अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए यह तथ्य रखा गया कि आवेदक/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित है तथा मृतका का ससुर है। अभियुक्त द्वारा वादी मुकदमा की पुत्री मृतका शिवानी से अतिरिक्त दहेज में डेढ़ लाख रुपये और एक मोटरसाइकिल की मांग की जाती रही, माँग पूरी न होने पर मृतका को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया और आखिर में उसकी दहेज हत्या कर दी गयी। मृतका की मृत्यु सात वर्ष के अन्दर अप्राकृतिक तरीके से ससुराल में हुई है। आवेदक/अभियुक्त के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर ही विवेचक द्वारा उसके विरुद्ध उन्हीं धाराओं के अंतर्गत आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया है, अनुरोध किया कि जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाए।

7– उभयपक्ष के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में केस डायरी/पत्रावली से विदित है कि आवेदक/अभियुक्त पर वादी की पुत्री मृतका शिवानी से अतिरिक्त दहेज स्वरूप डेढ़ लाख रुपये व एक मोटरसाइकिल की माँग करने, माँग पूरी न होने पर मृतका को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर उसकी दहेज मृत्यु कारित किये जाने का अभियोग है। आवेदक/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित है तथा मृतका का ससुर है जिसके विरुद्ध उपरांकित धाराओं में ही आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया गया है। वादी द्वारा विवेचक को दिये गये अपने बयान में प्रथम सूचना रिपोर्ट के तथ्यों का समर्थन किया गया है तथा गवाहन रजत, निराले, राजवीर व रोली द्वारा विवेचक को अंकित कराये गये अपने–अपने बयानों में शिवानी के सास, ससुर व पति द्वारा शिवानी से अतिरिक्त दहेज की माँग

कर उसे प्रताड़ित किया जाना बताया गया है। पत्रावली पर विद्यमान मृतका की शव विच्छेदन आख्या में मृत्यु का कारण 'Hemorrhage and shock as a result of Antemortem injuries.' अंकित किया गया है तथा शव विच्छेदन आख्या के अनुसार मृतका के शरीर पर निम्न चोटें आना दर्शित हैं–(i) Deep incised wound of size 11cmX1cm, bone deep present on the right parietal occipital area of skull with underlying fracture. wound is gaping with all the underlying structure cut up to the level of brain matter with underlying large haematoma in the brain matter. (ii) Lacerated wound of size 3cmX1cm, bone deep on the left parietal area of skull. (iii) Lacerated wound of size 8cmX2cm, muscle deep on the left side of face, just anterior to the left ear.

8– मृतका का विवाह आवेदक/अभियुक्त के पुत्र के साथ दिनांक 10.06.2022 को होना बताया गया है इस प्रकार प्रस्तुत मामले में विवाह के सात वर्ष के भीतर मृतका की मृत्यु असमान्य परिस्थितियों में ससुराल में होने का तथ्य रखा गया है। अतएव मामले के सम्पूर्ण तथ्य व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मामले के गुण दोष पर कोई भी मत व्यक्त किये बिना आवेदक/अभियुक्त की जमानत हेतु आधार पर्याप्त नहीं है, तदनुसार जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त रामनिवास द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र **निरस्त** किया जाता है।

आदेश की एक–एक प्रति सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, फर्रुखाबाद व जेल अधीक्षक, जिला कारागार फतेहगढ़ को प्रेषित की जाए तथा एक प्रति अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को निःशुल्क प्राप्त करायी जाए।

दिनांक–02.07.2026

(**नीरज कुमार**)
आई०डी०नं०यू०पी० 1907
सेशन न्यायाधीश
फर्रुखाबाद।